

प्रेस नोट-मॉनीटरिंग सैल

जनपद शाहजहाँपुर

सरहानीय कार्य दिनांक 11.04.2025

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास धारा 302,34 भादवि0 में आजीवन कारावास एवं 90000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशनुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कड़ी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व डॉ. राकेश सिंह पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सैल, व थाना निगोही पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-04 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के उपरान्त थाना निगोही में अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता को गोली मारकर हत्या करने के आरोपी 1.जयवीर सिंह 2. ओमवीर सिंह 3. विनोद सिंह को आजीवन कारावास एवं 90हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➤ सजा प्राप्त किये अभियुक्तगण का विवरण -

1.जयवीर सिंह 2. ओमवीर सिंह पुत्रगण बाबू सिंह

3. विनोद सिंह पुत्र जयवीर सिंह सर्व निवासीगण-मधवामई थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

➤ घटना व सजा का विवरण-

मु0अ0सं0 114/2012 धारा-302,34 भादवि0 थाना निगोही में अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता को गोली मारकर हत्या करने के आरोपी 1.जयवीर सिंह 2. ओमवीर सिंह 3. विनोद सिंह को आजीवन कारावास एवं 90000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।